

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिलाखण्ड-1, उदयपुर

क्रमांक : 1372

दिनांक : 28/12/2022

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 2.67 ha forest land for construction of BT road from Alsigarh to Nalfalla under PMGSY in favour of Public Works Department in District Udaipur of Rajasthan.

प्रसंग : क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8B/Raj/06/26/2019/FC दिनांक 13.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

आपके द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	Gram Sabha Resolution required under FRS, 2006 is not submitted. Instead, NOC signed by Assistant Engineer is submitted. In this regard, State Govt. is requested to submit proper documents of Gram Sabha Resolution.	इस कार्यालय के पत्रांक 376 दिनांक 24.12.2020 को पालना रिपोर्ट के साथ मूल FRA प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है जिसकी फोटो प्रति पुनः संलग्न है



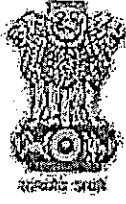
(अनिल खीची)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. जिलाखण्ड-1, उदयपुर

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमान् उपवन संरक्षक, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अनिल खीची)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. जिलाखण्ड-1, उदयपुर



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office,
Jaipur



ए-218 & बी-216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 / A-218 & B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8B/Raj/06/26/2019/FC
2022

Dated: 13th May,

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल अडिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/ROAD/20389/2016)

विषय: Diversion of 2.67 ha of forest land for construction of BT road from Atsigarh to Naffatta under PMGSY in favour of Public Works Department in District Udaipur of Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक P.1(23)Forest/2019 dated 13.04.2022.
महोदय,

उपरोक्त विषयान्वित संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयान्वित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के औद्योगिक अनुमोदन दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरान्त यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायें:

1. Gram Sabha Resolution required under FRA, 2006 is not submitted. Instead, NOC signed by Assistant Engineer is submitted. In this regard, State Govt. is requested to submit proper documents of Gram Sabha Resolution.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(Handwritten signature)
13/05/2022
(श्वपण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अनुरित प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, उदयपुर वनमण्डल, राजस्थान।
3. सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड गिरवा, उदयपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रामीण वृत्त उदयपुर

क्रमांक 1410

दिनांक 23/11/2022

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार उपाध्याय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर को वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क अलसीगढ़ से नालफला तक वन विभाग से F.C. Act 1980 Sec 2 के प्रावधानों के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु श्री अशोक कुमार उपाध्याय का स्थानान्तरण होने से इनकी जगह श्री अनिल खींची, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर को ऑनलाईन संबंधित सभी कार्य इनके द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित है।

हस्ताक्षर



(अनिल खींची)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर



(अनिल खींची)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

हस्ताक्षर प्रमाणित



(अनिल कुमार गर्ग)
अधीक्षण अभियंता
सा.नि.वि. ग्रामीण वृत्त उदयपुर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (ग्रामीण) वृत्त उदयपुर

क्रमांक:- 1264

दिनांक:- 8/10/2021

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार उपाध्याय सहायक अभियन्ता AEN गिर्वा प्रथम का वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली सडक अलसीगढ से नालफला को वन विभाग से F.C act 1980 Sec 2 के प्रावधानों में प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन करने हेतु अधिकृत किया गया था, परन्तु श्री अशोक कुमार उपाध्याय की पदोन्नती अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.जिला खण्ड प्रथम उदयपुर, पर हो गया है एवं इनके कार्य क्षेत्र में ही उपखण्ड गिर्वा प्रथम आता है।

अतः श्री अशोक कुमार उपाध्याय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.जिला खण्ड प्रथम उदयपुर, ऑनलाईन सम्बन्धित सभी कार्य इनके द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित है।



(अशोक कुमार उपाध्याय)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड-प्रथम
उदयपुर

हस्ताक्षर



(अशोक कुमार उपाध्याय)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

हस्ताक्षर प्रमाणित



(पी.आर.मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.(ग्रामीण)वृत्त उदयपुर



(अशोक कुमार उपाध्याय)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड-प्रथम
उदयपुर

FORM-1
(For Linear Project)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, UDAIPUR (RAJ.)

No.: Rev/2017/ 29/1 (72/2/2-4.2.5/1/10/2017/1027

Dated: 31/5/2017

REVISED TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 2.67 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of forest department Udaipur is being diverted in lieu of use of 2.67 hectare of forest land in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Nirman new road work from Alsigarh to Nal Fala in District Udaipur. This 2.67 Hectare of forest land in Khasra No. 1202, 464, 466, 467, 377, 378, 371, 363, 380, 358 fall in village Alsigarh within jurisdiction of Girwa Teshil.

It is further certified that :

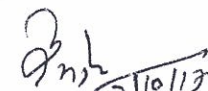
- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.67 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabaha(s) Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Inc.:- Gram Sabha Samiti
Sub Divisional Samiti
and Distt. Level Samiti


(अनिल चौधरी)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर


District Collector
Udaipur (Raj.)


(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
P.W.D. Sub Division Girwa-I
District Udaipur


(अशोक उपाध्याय)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

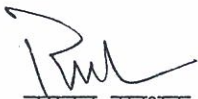
कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

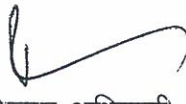
बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम-अलसीगढ़, ग्राम पंचायत-अलसीगढ़, तहसील-गिरवा, जिला उदयपुर में अलसीगढ़ से नालफला तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 1/625 से 4/800 एवं 5/120 से 5/500 (3555 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 1202, 464, 466, 467, 377, 378, 371, 363, 380 एवं 358 कुल क्षेत्रफल 2.67 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक ~~24.5.2017~~ को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

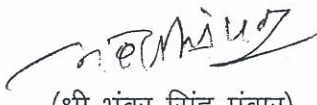
उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 2.67 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार अलसीगढ़ से नालफला सड़क निर्माण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

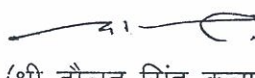
क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	अलसीगढ़ से नाल फला सड़क निर्माण कार्य	1/625 से 4/800 एवं 5/120 से 5/500 (355 मीटर)	अलसीगढ़ हाल आराजी नम्बर 1202, 464, 466, 467, 377, 378, 371, 363, 380 एवं 358	अलसीगढ़	2.67	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 12.02.2016 एवं उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 23.02.2017

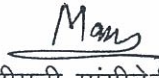

उपवन सरक्षक
उदयपुर


परियोजना अधिकारी
टी.ए.डी. उदयपुर


जिला कलक्टर
उदयपुर


(श्री भंवर सिंह पंवार)
(सदस्य)


(श्री दौलत सिंह कलासुआ(मीणा)
(सदस्य)


(श्रीमती मांगीदेवी)
(सदस्य)


(अनिल खीची)
अधिक्षापी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर


(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
District, Udaipur

उपखण्ड अधिकारी गिरवा उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव सं. 1.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम-अलसीगढ़, ग्राम पंचायत-अलसीगढ़, तहसील-गिरवा, जिला उदयपुर में अलसीगढ़ से नालफला तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 1/625 से 4/800 एवं 5/120 से 5/500 (3555 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 1202, 464, 466, 467, 377, 378, 371, 363, 380 एवं 358 कुल क्षेत्रफल 2.67 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 23.02.2017 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 2.67 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार अलसीगढ़ से नालफला सड़क निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। **वन अधिकार समिति गिरवा द्वारा उ.छ.1 से अनुशंसा की जाती है।**

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	अलसीगढ़ से नाल फला सड़क निर्माण कार्य	1/625 से 4/800 एवं 5/120 से 5/500 (3555 मीटर)	अलसीगढ़ हाल आराजी नम्बर 1202, 464, 466, 467, 377, 378, 371, 363, 380 एवं 358	अलसीगढ़	2.67	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 12.02.2016

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उदयपुर (पश्चिम)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति गिरवा

उपखण्ड अधिकारी
गिरवा उदयपुर

(श्रीमती रमणी मीणा)
पंचायत समिति सदस्य गिरवा
ग्राम पंचायत अलसीगढ़
पं.स. गिरवा, जिला उदयपुर

(Bhanu S)
पंचायत समिति सदस्य
पंचायत समिति सदस्य गिरवा
पं.स. गिरवा, जिला उदयपुर

(लालजी मीणा)
पंचायत समिति सदस्य गिरवा

(अनिल खींची)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
District Udaipur

318

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

क्रमांक: राजस्व/वअ/2017/643

दिनांक : 27/2/2017

प्रमाण-पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98 एफसी (पीटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है कि उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के ग्राम अलसीगढ़ से नालफला तक प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु $3555 \times 7.5 = 2.6700$ हैक्टर वन भूमि सड़क बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

- क. तहसील गिरवा के ग्राम अलसीगढ़ से नाल तक ग्राम अलसीगढ़ के खसरा नम्बर 1202, 464, 466, 377, 378, 363, 380 में से $3555 \times 7.50 = 2.6700$ हैक्टर वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत अलसीगढ़ की ग्राम सभा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत अलसीगढ़ से प्राप्त प्रमाण पत्र)।
- ख. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील गिरवा की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से सम्बन्धित ग्राम सभा में रखा गया है। तथा ग्राम पंचायत अलसीगढ़ (1 के अध्यक्षीन) अलसीगढ़ की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।
- ग. तहसील गिरवा से सम्बन्धित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ / प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है एवं प्रमाणित किया है।
- घ. तहसील गिरवा में ग्राम सभा में ग्राम पंचायत अलसीगढ़ में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सर्शत अनापत्ति दी गई है।
- इ. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत अलसीगढ़ की ग्रामसभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
- ई. लागू नहीं है।


(अनिल चौधरी)
अधिशापी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर


(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division, Girwa
District Udaipur


उपखण्ड अधिकारी
गिरवा-उदयपुर



Phone Num – 0294-2483369

Mail ID – bdo-uda-girw-rj@nic.in,

deomisgr@yahoo.in

कार्यालय पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर, (राज.)

क्रमांक :- एफ()पंसगि/वनअधिकार/ 2016-17/ 6406

दिनांक :- 08/01/17

श्रीमान् अध्यक्ष/उपखण्ड अधिकारी,
वन अधिकार समिति उपखण्ड गिर्वा,
उदयपुर

विषय :- अलसीगढ से नाल सडक डामरीकरण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- पत्रांक व.अ.अ./2016/1807 दिनांक 13.07.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत अलसीगढ में ग्राम अलसीगढ से नाल तक की कच्ची सडक को सम्बन्धित विभाग द्वारा डामरीकरण करने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र चाहा गया है। जिस हेतु में ग्राम पंचायत अलसीगढ के ग्राम सभा दिनांक 20.12.2016 के प्रस्ताव संख्या 02 से उक्त कार्य हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 02 की अनुपालना में ग्राम पंचायत से पत्र क्रमांक 76 दिनांक 24.12.2016 से अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न :- ग्रा. प. ग्राम सभा बैठक कार्यवाही एवं अनापत्ती प्रमाण पत्र।

(अजय कुमार आर्य RDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति गिर्वा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर।
2. श्रीमान् प्रधान महोदय, पंचायत समिति गिर्वा।
3. रक्षित पत्रावली।

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
District-Udaipur

(अजय कुमार आर्य RDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति गिर्वा

(अनिल खोटी)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत, अलसीगढ़

पंचायत समिति-गिरवा, जिला-उदयपुर (राज.)

320

सांक : ग्रा.पं.अ./२०/६-१७/७६

दिनांक २५/११/७६



अनापत्ति प्रमाण पत्र

मह. प्रमाणित किया जाता है कि अलसीगढ़ से नाल कच्ची सड़क सन १९८० के पूर्व से ही आमजन के लिए परिवहन का जरिया रहा है। अलसीगढ़ से नाल डामरीकृत सड़क निर्माण क्रयमा जाता है तो ग्राम पंचायत अलसीगढ़ को कोई आपत्ति नहीं है।

आज दिनांक २५/११/७६ को मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मोहर से यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
District-Udaipur


(अमिल खोटी)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

1321

विशेष ग्राम सभा 20/12/2016

आज दिनांक 20/12/2016 को कमालिय पं.स.गिरा के आदेश क्रमांक - एफ () पसगि/सरस्था/बैठक/2016-17/5952-58 दिनांक 19/12/2016 की अनुपालना में आज दिनांक 20/12/2016 को अटल सेवा बैन्ड अलखीगढ़ पर सरपंच श्रीमति आशा देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया।
सबसे पहले अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम सभा का बजेट विवरण पढ़ाया गया।
ग्राम सभा पं. दीन यशपाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु बताया गया।
ग्राम सभा में उपस्थित आधीनारी/कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पद/विभाग	हस्ताक्षर
1	रामजीलाल मीणा	पंच - जेकरा	पंच
2	प्रीतिबाला	पर्यवेक्षक I.C.D.S	प्रीतिबाला
3	मोंगीलाल	हेड पंच मिश्री	मोंगीलाल
4	नाक	व्यवस्थापक	नाक
5	रमेशलाल मीणा	शि.स.प.ड. काउन्सिलर	रमेश
6	रमेश कुमार मीणा	कनिष्ठ लिपिक	रमेश
7	आशा	सरपंच	आशा
8	नारकी बाई	आ.केंद्र अगस्त/16	नारकी
9	विषमा मीणा	आ.केंद्र रविवार/कम	विषमा मीणा
10	कैलश कुमार मीणा	राशन डीलर	कैलश कुमार
11	नारायण लाल मीणा	ग्रामसेवक प्रोग्रामर	नारायण

आशा
(आ.केंद्र)
सरपंच
ग्राम पंचायत, अलखीगढ़
पं.स. गिरा, जिला-उदयपुर (रा.रा.)

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwar
Distt. Udaipur

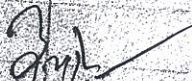
(अनिल खीची)
अधिसूचना अधिकारी
सा.वि.वि. वि.स. उदयपुर जयपुर

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना से कौशल प्रशिक्षण
(सहभागिता आधारित तरीक़ों की पहचान (पी.आई.
ग्राम पंचायत का नाम - अलसीगाठ पंचायत समिति - गिरवा

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्गी	नि. रक्षित/न	अल्पसंख्यक
						अज्ञा/अज्ञा	हां/नहीं हा/न
						अधीन/	
						सामान्य	
1	देवीलाल	कालू जी	पु	8/6/1994	ST	नहीं	नहीं
2	रामकुमार	दितराम जी	पु.	10/7/1990	ST	नहीं	नहीं
3	हरेशलाल	मैया जी	पु.	05/01/1989	ST	नहीं	नहीं
4	जमोहराज मीना	कन्दैया लाल	पु.	7/8/1990	ST	नहीं	नहीं
5	लालराम मीना	शंकरलाल	पु.	1/5/1983	ST	नहीं	नहीं
6	लाधुलाल	रतना	पु.	1/1/1989	ST	नहीं	नहीं

आशा
(अधीन)
ग्राम पंचायत, अलसीगाठ
प.स. गिरवा, जिला-उदयपुर (रा.ज.)


(अधीन/अधीन)
अधीन/अधीन
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर


(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girma
District Udaipur

दिनांक दि. 20/12/2016 को ग्रा.प. अलसीगढ़ में
अटल सेवा केन्द्र पर ग्रा.प. का कार्यालय सेवा
लिखित रूप में जमीनी काबजाही की जा रही है
के संबंध में निम्न प्रस्ताव लिख गया।

पुस्त

प्रस्ताव सं. 1 सर्वेस्वामी के प्रस्ताव लिया गया कि
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 E उदमपुर - छुण्डाल -
जयखंडा - झंडाल - फलासिया सीमा - खोखरा
उक्त गाँवों में वन विभाग भूमि में निम्न
खसरा नं. के कोई वनाधिकार पट्टा पारी/
पेडिंग नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	Area (है.)	गाँव	पंचायत
1	3168	6.334	अलसीगढ़	अलसीगढ़
	3174	0.125	—	—
	3175	0.07	—	—
	3176	0.16	—	—
	3177	0.055	—	—
	3179	0.05	—	—
	3178	0.672	—	—
		7.466	—	—

उक्त खसरो पर राजमार्ग बनाया जाता है
तो ग्रा.प. पंचायत अलसीगढ़ को कोई
हानि नहीं है। सर्वेस्वामी से यह
प्रस्ताव कुमुमांति दिया गया।

(Ashok Chaudhary)
Assistant Engineer
RWD Sub Division Gairwar
District Udaipur

(अमित खोखी)
अतिरिक्त जमीन
सा.वि. वि. वि. प्रथम उदयपुर

आस्था

18

323

समा से कौशल परीक्षण हेतु लाभार्थियों के अपन का विवरण
न की पहचान (पी आर पी) अन्तर्गत ग्राम समा का रजिस्टर (आरएम)

पत व्यक्ति - गिवा जिला - उदयपुर

संगी	नि. रजिस्टर	अपभरक	मो. नं.	आधार	निवासी	वैधगित	रोजगार	रोजगार
आय	हो/नही	हो/नही	नामांक	शाल का	योग्यता	हेतु जित	हेतु नष्ट	
मना			मर्या	नाम		मे लाइर	मे लाइर	
मना						जाने के	जाने के	
						रंछु न	रंछु न	
						हो/नही	हो/नही	
37	नही	नही	7742563830		उत्तरीगढ़	9	हो	नही
87	नही	नही	995054533		-	9	हो	नही
17	नही	नही	978405252		-	9	हो	नही
57	नही	नही	9166078057		-	9	हो	नही
7	नही	नही	8187211813		-	8	हो	नही
7	नही	नही	9660332250		-	5	हो	नही

आशा

78

(अनिल खोवी)
अधिकाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला छंड प्रथम उदयपुर

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub-Division, Gurgaon
District, Udaipur

पुस्ताक सं. 2 सर्वेन्द्रमती से पुस्ताक लिया

गंगा कि गंगा पंचायत अलसीगढ़

से नाल नवीन डामरीकृत सड़क निर्माण

कराया जाता बहुत ही जल्दी है। यह

सड़क सन 1980 से पूर्व से ही आगमन

के लिए परिवहन का जरिया रहा है परन्तु

कच्चा मार्ग होने से कालान्तर में बहुत ही

खराब हो गया है। अलसीगढ़ से नाल

डामरीकृत सड़क कार्य हेतु महत्वपूर्ण है।

पूर्व में यह सड़क वन अधिकार अधिनियम

वर्ष 1980 लागू होने से पूर्व निर्मित थी

गड़ थी परन्तु वह कच्ची सड़क थी।

अतः सर्वेन्द्रमती से पुस्ताक लिया गया

कि अलसीगढ़ से नाल डामरीकृत सड़क

निर्माण कराया जाता है तो गंगा पंचायत

अलसीगढ़ को कोई आपत्त आपत्ति

नहीं होगी।

उक्त सड़क पर वन अधिकार अधिनियम

के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक

वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है

और नाली वर्तमान में विचारधीन है।

खाद्य
(अशोक)

मान पंचायत, अलसीगढ़
ब.स. गिरा, जिला-उदयपुर (राज.)

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
District-Udaipur

(अनिल खोची)
अधिसायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

प्रस्ताव सं. 3 सर्वसहमती से प्रस्ताव लिया गया कि अंतर सेवा केन्द्र बलसमीगढ़ एवं कियान सेवा केन्द्र बलसमीगढ़ पर रात को सन्ध्या बहुत रहता है इसलिए इसमें दोनो भवनो पर रोशनी की व्यवस्था की जाय।

हस्ताक्षर
कमल
अधीन
होजी
र-वनी
बलसमीगढ़
कियान
होजी

प्रस्ताव सं. 4 सर्वसहमती से प्रस्ताव लिया गया कि समानांतर भग दीन की रोड निर्माण काय जाला में बनाया जाये।

वीरस
मणीलाल
कैसूराम
कैकराम

प्रस्ताव सं. 5 सर्वसहमती से प्रस्ताव लिया गया कि अंतर सेवा केन्द्र की चारदीवारी की ऊँचाई कम है इसे बढ़ाकर जव लोहे की इंगल, तार से सुरक्षा बढ़ाये जावे एवं भेनरोड से अंतर सेवा केन्द्र की ओर साइडवाक बनायी

जकुडा
बाली

जाबान

(अनिल खीची)

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD Sub Division Girwa-I
PWD District Udaipur

जिन का उस्ताव सर्वसहमती से अनुमोदित किया गया।

हस्ताक्षर
शुक्ल

उस्ताव सं. 6 सर्वसहमती से उस्ताव किया गया कि सामुदायिक आवाज वाडा फलाम की मरम्मत करायी जाय।

प्रतीभा

सावनी

महाराज सावनी
मीरपुर

उस्ताव सं. 7 आगवारी केन्द्र का फलाम पर आवाज सहयोगी पर परिसर है उस हेतु मीरपुरी मीरपुरी का आवेदन प्राप्त हुआ जिसके मूल ही 10000 सामुदायिक को चयन हेतु भेजे जाय का उस्ताव सर्वसहमती से अनुमोदित किया गया।

मिलिस्वा
डरम
दितराज
पुष्प
प्रमी

वाइकी
नानीवाड़ी

उस्ताव सं. 8 सर्वसहमती से मीरपुरी पंचायत अलसीगाव की आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।

म. मयल
माधुसा
मनोज

उस्ताव सं. 9 सर्वसहमती से उस्ताव

प्रकाश

आशा
(अनिल खींची)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

(Ashok Upadhyay),
Assistant Engineer,
PWD Sub Division Gurwa-I
District Udaipur

लिमा गया कि उक्त पंचायत क्षेत्र में
किन्तु स्वारक्षणीक शौचालय नहीं
है इसलिए चौकी के आसपास
उक्त स्वारक्षणीक शौचालय
का निर्माण कराया जाय एवं
राजकीय कार्यालय के शौचालय
में भी स्वारक्षणीक सुवस्था में है
उन्हे सम्भाल कर लिया जाय।
पंचायत क्षेत्र में कोई भी खुले
में शौच नहीं जाय। अगर कोई
जाता है तो उक्त पंचायत क्षेत्र
आर्थिक इस बखल करे दान
का प्रस्ताव सर्व सदस्यों के
लिमा गया।

डि.नं. 142

Chinaiya
Hadiya
म. कुंजी
Raj Kumar
पुडुडी
म. म. म.
28/9/14
प्रस्ताव मिला।
Kishan Lal

प्रस्तावक. 10 सर्व सदस्यों के प्रस्ताव
लिमा गया कि प्रस्तावकों
के कई लाभार्थियों के आवाजाह
सिडिंग कार्य बाकी है इसलिए
इसी आवाजाह काटवामे
जाय।

(Ashok Upadhyay)
Assistant Engineer
PWD, Sub Division Girwa-I
District Udaipur

सद्यः प्रवाह बंधन दोषणा निर्मा

आशा

आशा
(आशा)

मान प्रवाह बंधन दोषणा निर्मा
पं. स. वि. जिला उदयपुर (उदय)

(अनिल खीची)

अधिकाधी अभियन्ता
सा. नि. वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

(325)

Date _____
Page _____

प्रस्ताव सं. 2 सर्व सहायता से प्रस्ताव लिया गया कि ग्राहक पंचायत बलसीगढ़ से नाल नवीन डाकरीकृत सड़क निर्माण कराया जाना बहुत ही जरूरी है। यह सड़क सन 1980 से पूर्व से ही आमतौर से बिड़ परिवहन का परिभाषा रहा है परन्तु कच्चा मार्ग होने से कालान्तर में बहुत ही खराब हो गया है। बलसीगढ़ से नाल डाकरीकृत सड़क कार्य हेतु महत्वपूर्ण ही आवश्यक है। पूर्व में यह सड़क वन अधिकार अधिनियम वर्ष 1980 लागू होने से पूर्व निर्मित थी गई थी परन्तु वह कच्ची सड़क थी। अतः सर्व सहायता से प्रस्ताव लिया गया कि बलसीगढ़ से नाल डाकरीकृत सड़क निर्माण कराया जाना है तो ग्राहक पंचायत बलसीगढ़ को कोई क्षति आपत्ति नहीं होगी।

उक्त सड़क पर वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

आशा

18

(अनिल खींची)

अधिकांशी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड प्रथम उदयपुर

(Ashok Upadhyay)

Assistant Engineer

PWD Sub-Division Girwa-I

District-Udaipur

Distt. Udaipur